कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 136/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

□मारपीट/रास्ता विवाद के मामले में दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हुई मारपीट, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर भेजा न्यायालय

➡□घटना का विवरण—
दिनांक 30.03.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्र के ग्राम जौमा में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गाली-गलौज, जान-माल की धमकी देते हुए लाठी-डंडा, हंसिया व टांगी से मारपीट की घटना हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आईं। प्रकरण के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 3(5)/115(2)/351(3)/333/324(4)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 109 बीएनएस की वृद्धि की गई।

➡□गिरफ्तारी का विवरण—
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.04.2026 को वांछित अभियुक्त 1. अवनीश यादव पुत्र पतिराज यादव 2. पतिराज यादव पुत्र बरसाती यादव निवासीगण ग्राम जौमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा गया।

➡□पंजीकृत अभियोग-
1-मु0अ0सं0 117/2026 धारा 3(5)/115(2)/ 351(3)/ 333/ 324(4) /352/109 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

➡□पुलिस टीम—
उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी, हे0का0 राजीव यादव, का0 सुनील यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक– 07.04.2026
जनपद– आजमगढ़

□ मिशन शक्ति फेज 5.0 (द्वितीय चरण) के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित
□ कुल 02 प्रकरणों की सुनवाई, 01 मामले में सफलतापूर्वक कराया गया समझौता
□ काउंसलिंग व मीडिएशन के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान की पहल
□ नई किरण प्रोजेक्ट से बिखरे परिवारों को जोड़ने का सतत प्रयास

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री चिराग जैन तथा पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत दिनांक 07.04.2026 को परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई।

➡□ बैठक में कुल 02 प्रकरणों में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें सभी पक्षकार उपस्थित रहे। गहन काउंसलिंग के उपरांत 01 प्रकरण में आपसी सहमति से समझौता कराया गया।

➡□ उक्त प्रकरण में पति व ननद द्वारा दहेज को लेकर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना तथा पति द्वारा तलाक देकर दूसरी शादी की धमकी देने का मामला सामने आया, जिसे काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया गया। शेष प्रकरण में अगली तिथि नियत कर पक्षकारों को पुनः उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया।

➡□ नई किरण प्रोजेक्ट के माध्यम से बिखरे हुए परिवारों को पुनः एकजुट करने एवं सामाजिक सौहार्द स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को भी कम किया जा सकेगा।

➡□ इस अवसर पर उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी (प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ), उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

कुल समझौते – 01

1. सालेहा बानो पुत्री मोहम्मद अजीम, ग्राम अतरकच्छा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

□ फेक ई-चालान ऐप डाउनलोड करने से हुआ मोबाइल हैक, पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते साइबर फ्रॉड के कुल 15,200/- रुपये आवेदक/पीड़ित के खाते में वापस कराया गया। □

पूर्व की घटना—

आवेदक निलेश यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी बैठोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गई कि अज्ञात नंबर से प्राप्त फर्जी ई-चालान एप डाउनलोड करने पर उनका मोबाइल हैक हो गया, जिससे उनके खाते से 15,200/- रुपये कट गए। इस संबंध में तत्काल साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर फोन करके साइबर शिकायत दर्ज करायी गयी।

कार्यवाही/रुपये वापस कराना—

उक्त शिकायत पर थाना सिधारी साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ की तकनीकी सहायता से त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर पीड़ित के खाते में 15,200/- रुपये वापस कराए गए।

जनजागरूकता—

पुलिस द्वारा आवेदक को जागरूक किया गया कि किसी भी अज्ञात लिंक/एप को डाउनलोड न करें, ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें अथवा नजदीकी साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

पुलिस टीम—

01. उ0नि0 विधनेश वर्मा, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
02. म0का0 रीना यादव, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़

□इंस्टाग्राम सुसाइड अलर्ट पर त्वरित कार्रवाई कर युवती की जान बचाने वाले उ0नि0 जावेद सिद्दिकी को किया गया सम्मानित

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा थाना सिधारी के उ0नि0 जावेद सिद्दिकी को उनके सराहनीय एवं त्वरित कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

➡□ दिनांक 03.04.2026 को थाना सिधारी क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती द्वारा मानसिक तनाव के चलते इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो पोस्ट किया गया, जिस पर मेटा कंपनी से प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मात्र 08 मिनट में मौके पर पहुंचकर बेहोश युवती को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई।

□ उपचार उपरांत पुलिस द्वारा युवती की काउंसलिंग भी की गई, जिस पर उसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया। परिजनों द्वारा पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया गया।

➡□ उक्त सराहनीय कार्य के लिए आज दिनांक 07.04.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में थाना सिधारी के उ0नि0 जावेद सिद्दिकी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

➡□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि सोशल मीडिया से प्राप्त ऐसे संवेदनशील अलर्ट पर आजमगढ़ पुलिस तत्काल कार्रवाई कर मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

□ उक्त अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर कौस्तुभ त्रिपाठी उपस्थित रहे।

थाना सिधारी, आजमगढ़
□धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2026 को रात्रि समय करीब 22.00 बजे थाना सिधारी क्षेत्रांतर्गत कस्बा स्थित एक मस्जिद के गेट पर विक्रान्त सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी खैरातपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा नशे की हालत में शराब पीकर खाली बोतल फेंक दी गई थी।

उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर एवं थाना प्रभारी सिधारी मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर उपस्थित लोगों को समझा-बुझाकर हटाया गया तथा आरोपी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 298 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

➡□ ऐसे उन्मादियो के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आमजगढ़ पुलिस सदैव तत्पर रहती है।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

फरार वांछित अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई

हत्या के मामले में सहअभियुक्त, गिरफ्तारी से बचने पर न्यायालय के आदेश से की गई कार्रवाई

➡ थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 637/2025 धारा 103(1)/61(2)क बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त आजम पुत्र अलीम निवासी दाऊदपुर बागखालीस थाना जीयनपुर की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी गई, किन्तु अभियुक्त न तो गिरफ्तार हो सका और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

➡ उक्त परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 04.04.2026 के अनुपालन में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार अभियुक्त के निवास स्थान पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी के माध्यम से उद्घोषणा कराई गई तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए।

➡ उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त हत्या के मामले में सहअभियुक्त है एवं लगातार फरार चल रहा है।

फरार एवं आपराधिक कृत्यों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

फर्जी दस्तावेज तैयार कर 34 लाख रुपये की जमीन ठगी, मुख्य अभियुक्त के0सी0 राय समेत 04 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

कूटरचित खतौनी दिखाकर किया धोखाधड़ी, पैसा मांगने पर दी गाली-गलौज व धमकी

आजमगढ़। जनपद में भूमि संबंधित धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

➡ घटना का संक्षिप्त विवरण—

आवेदक मोहम्मद जाहिद शेख पुत्र अब्दुल मुनिर निवासी ग्राम व पोस्ट महराजपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण 1. कृष्णचन्द्र राय 2. रेनू राय 3. संगम राय 4. निगम राय निवासीगण मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह (हाल पता कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली) द्वारा कूटरचित व जाली खतौनी दिखाकर जमीन बेचने के नाम पर 34,00,000 रुपये ले लिए गए। बाद में पैसा वापस मांगने पर गाली-गलौज एवं धमकी दी गई।

उक्त प्रकरण के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 153/2026 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि के तहत दिनांक 07.04.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों का विवरण—

1. कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय
2. रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द्र राय
3. संगम राय पुत्र कृष्णचन्द्र राय
4. निगम राय पुत्र कृष्णचन्द्र राय

निवासीगण मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, हाल पता कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

➡ पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 153/2026 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

➡ आपराधिक इतिहास—

मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय थाना बरदह का मजरिया एचएस (HS No-15B) है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी, गैंगेस्टर व अन्य गंभीर धाराओं में अनेक अभियोग पंजीकृत हैं। सहअभियुक्तगण के विरुद्ध भी पूर्व में विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं।

भूमि संबंधी धोखाधड़ी व जालसाजी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी है।